# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

## बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 02/2011

उनवान

1– रामकरण पिता जमना जाट, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा ।
2– नारायण पिता जमना जाट, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा ।
3– हंसराज पिता जमना जाट, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा ।
4– श्रीमति सुगनी पत्नि जमना जाट, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा ।

–वादीगण

बनाम

1– उदय पिता श्रीराम जाट, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा ।
2– रामचन्द्र पिता श्रीराम जाट, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा ।
3– श्रीमति गंगा बेवा श्रीराम जाट, निवासी दांतडा , तहसील हुरडा ।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार मेहता — वकील वादी ।
श्री श्यामलाल त्रिवेद्वी — वकील प्रतिवादी

## वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

## –:निर्णय:–

दिनांक– 25.06.2018

1– वादीगण के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम दांतडा तहसील हुरडा में वादीगण के पिता जमना पिता प्रताप के खाते में आराजी 442 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा सम्वत् 2036 से 2039 की जमाबन्दी में नाम दर्ज थी ।

2 उक्त आराजीयात को फर्जी व अनरजिस्टर्ड बिकाव के आधार पर प्रतिवादीगण के पिता/पति श्रीराम जाट ने अपने नाम दर्ज करा ली व श्रीराम की मृत्यु हो जाने से उक्त आाराजीयात का खाता विरासत के आधार पर प्रतिवादीगण अपने नाम पर दर्ज करा लिया जो अवैध होकर नाजायज है जिसकी जानकारी वादीगण को अभी हाल ही में दो माह पूर्व दिनांक 26.11.2010 को अपने खाते की नकल निकालने पर हुई ।

3– उक्त आराजीयात पर श्री जमना के जीते जी उनका व उनकी मृत्यु के बाद उनके वारेसान वादीगण का कब्जा काश्त व उपभोग चला आ रहा है ।

1 न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
सहायक-कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

4– उक्त आराजी नम्बर– 442 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा प्रतिवादीगण के खाते से हटाई जाकर वादीगण के खाते में खातेदारी हक से दर्ज की जाना आवश्यक है जिसके लिए वादीगण खातेदारी हक की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है ।

5– वादीगण को बिनाय मुखास्मत दावा दिनांक 26.11.2010 से उपर वर्णित कारणों से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।

6– अन्त में अंकित किया कि आराजी नम्बर– 442 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा को प्रतिवादीगण के खाते से हटाई जाकर वादीगण के खाते में खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावें ।

7– प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 04.04.2011 को जवाबदावा में काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया । जिसकी नकल वकील वादी को उपलब्ध कराई जाने पर वादीगण के द्वारा काउण्टर क्लेम का जवाब दिनांक 26.09.2011 को प्रस्तुत किया गया ।

8– प्रकरण में वाद पत्र व जवाबदावा के आधार पर दिनांक 17.07.2012 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

| | | |
|---|---|---|
| तनकी न0–1 | आया आराजी नम्बर– 442 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा सम्वत् 2036 से 2039 की जमाबन्दी में जमना पिता प्रताप के नाम दर्ज थी । | –वादीगण |
| तनकी न0–2 | आया विवादित आराजीयात को फर्जी व अनरजिस्टर्ड बिकाव के आधार पर श्रीराम जाट ने अपने नाम दर्ज करा ली । | –वादीगण |
| तनकी न0–3 | आया विवादित आराजीयात पर जमना के जीते जी उनका व उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है और इसके लिये वो खातेदारी हक की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है । | –वादीगण |
| तनकी न0–4 | आया वादीगण के पिता जमना, हणुता का पुत्र न होकर स्व. मूला का पुत्र है । | –प्रति वादीगण |
| तनकी न0–5 | आया विवादित आराजीयात को श्रीराम जाट ने बिल एवज रुपये 50/– में प्रताप, मूला, पुत्र हणुता से दिनांक 23.02.1959 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया । | –प्रति वादीगण |
| तनकी न0–6 | आया वादीगण विवादित आराजीयात के टेनेन्ट नही है और न इनका कभी कब्जा रहा है इस लिये बिना कब्जे के घोषणा का वाद लाने का अधिकार नही है । | –प्रति वादीगण |
| तनकी न0–7 | आया जवाब दावे की कलम नम्बर– 13, 14, 15, 16 में वर्णित कारणों से दावा वादीगण चलने योगय नही है । | –प्रति वादीगण |
| तनकी न0–8 | अनुतोष | |

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

9– वादीगण ने अपने वाद पत्र की ताहीद में पी.डब्लु.–1 रामकरण के बयान करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी.–1 जमाबन्दी सम्वत् 2036–2036 ई.एक्स.पी.–2 जमाबन्दी 2041–2044, ई.एक्स. पी.–3 जमाबन्दी 2065–2068 को प्रदर्श कराया गया । अन्य कोई गवाह अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही कराना चाहने से साक्ष्य वादी स्टेज बन्द की गई ।

10 प्रतिवादीगण के द्वारा साक्ष्य, सबूत पेश करने हेतु समुचित अवसर लिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा साक्ष्य, सबूत पेश नही किये गये ।

11 तत्पश्चात् पत्रावली आज केम्प कोर्ट दांतडा पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये । वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूनी जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजी नम्बर– 442 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता जमना पिता प्रताप के खाते में दर्ज थी । उक्त आराजीयात को फर्जी व अनरजिस्टर्ड बिकाव के आधार पर प्रतिवादीगण के पिता श्रीराम जाट ने अपने नाम दर्ज करवा ली । और श्रीराम की मृत्यु के बाद विरासत से प्रतिवादीगण ने अपने नाम पर दर्ज करवा ली जो अवैध होकर नाजायज है । वकील वादी ने बहस में यह भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर जमना के जीते जी जमना का कब्जा था व उसकी मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है । अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के लिये वादीगण को खातेदार घोषित फरमाया जावें ।

12 वकील प्रतिवादीगण का कथन था कि विवादित आराजीयात पर पिछले 50 वर्षो से वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है जिससे धारा 63 काश्तकारी कानून के तहत यदि कोई अधिकार वादीगण बताते भी है तो वह 12 वर्षो से अधिक समय निकल जाने से वादीगण के हक अधिकार समाप्त हो चूके है । वकील प्रतिवादी का बहस में यह भी कथन था कि वादीगण के पिता जमना लाल प्रताप का पुत्र ना होकर मूला का पुत्र है । प्रताप तो लाऔलाद फौत हुआ । प्रताप के जीवनकाल में कोई सन्तान नही हुई । प्रताप की सम्पति का दावा वादीगण को लाने का कोई अधिकार नही है । प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के पिता श्रीराम ने आराजी नम्बर– 416/1 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा भूमि को 50/– रुपये में प्रताप, मूला, पिता हणुता जाट से दिनांक 23.02.1959 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया । तभी से प्रतिवादीगण के पिता श्रीराम खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे थे । खातेदार श्रीराम की मृत्यु के बाद विरासत से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है । जिसकी सम्पूर्ण जानकारी वादीगण को है । अन्त में कथन किया कि दावा वादी खारिज फरमाया जावें । तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह प्रतिवादीगण की कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न करावें ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

13 जवाब बहस में वकील वादी का कथन था कि जमना , मूला का पुत्र न होकर प्रताप का ही जायन्दा पुत्र है । अन्त में कथन किया कि प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज फरमाया जाकर दावा वादी डिक्री फरमाया जावें ।

14 हमनें वकील उपभयपक्ष की बहस को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से रहा है–

15 **तनकी नम्बर–1** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है । इस तनकी के समर्थन में वादीगण के द्वारा ई.एक्स.पी.–1 को प्रदर्श करवाया गया । ई.एक्स.पी.–1 जमाबन्दी सम्वत् 2036–2036 मौजा दांतडा तहसील हुरडा के अनुसार विवादित आराजी नम्बर– 442 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा भूमि जमना पिता प्रताप जाट के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । तद्नुसार इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

16 **तनकी नम्बर– 2 व 3** इन तनकीयों को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है । यह दोनो तनकीयों एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है । इन तनकीयों के समर्थन में वादी के द्वारा ई.एक्स.पी.–1 व बिकावनामा दिनांक 23.02.1959 को पेश किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध फोटो प्रति तथाकथित बकावनामा दिनांक 23.02.1959 का अवलोकन किया गया । उक्त बिकावनामा बही खाता में लिखा होकर अनरजिस्टर्ड कृत है । जिसके अनुसार प्रताप, मूला पिता हणुता रणवा जाट साकिन दांतडा तहसील हुरडा के द्वारा मौजा दांतडा की आराजी नम्बर– 416/1 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 04 बीघा 03 बिस्वा भूमि 50 रुपये में श्रीराम वल्द सुखेदव रणवा जाट निवासी दांतडा को बेचान किया जाना प्रकट आया है । किन्तु ई.एक्स.पी.–1 जमबान्दी में इन्द्राज के अनुसार नामान्तकरण संख्या– 370 दिनांक 07.03.1981 से आराजी नम्बर– 442 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा भूमि श्रीराम पिता सुखदेव जाट के नाम दर्ज किया जाना प्रकट आया है । जबकि तथाकथित बिकाव आराजी नम्बर– 416/1 का बही खाते में किया गया है। तथाकथित उक्त बिकाव के अनुसार आराजी नम्बर– 416/1 का बिकाव प्रताप , मूला पिता हणुता के द्वारा किया गया था । किन्तु बिकाव नामे पर मात्र मूला की अगुठा निशानी अंकित है । प्रताप के कोई हस्ताक्षर व अगुठा निशानी तथाकथित बिकावनामे पर अंकित नही है । उक्त बिकावनामा के आधार पर आराजी नम्बर– 442 का नामान्तकरण श्रीराम के नाम खोजा गया वह अपने आप में गलत एवं अवैध है । प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाबदावा व काउण्टर क्लेम में तथा बहस के दौरान भी यह नही बताया कि आराजी नम्बर– 442 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा के सम्बन्ध में खोला गया नामान्तकरण संख्या– 370 दिनांक 07.03.1981 का विकय पत्र दिनांक 23.02.1959 ना होकर कोई अन्य विकय पत्र के आधार पर खोला गया हो । ऐसी स्थिति में वादीगण वादग्रस्त आराजी नम्बर– 442 रकबा 04 बीघा 16

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

बिस्वा भूमि के लिये खातेदारी हक घोषणा करवाये जाने के अधिकारी होने से इन तनकीयों का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

17 **तनकी नम्बर–4** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पर है । इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण का कथन है कि वादीगण के पिता जमना मूला का पुत्र है न कि प्रताप का तथा प्रताप लाऔलाद कुँवारा फोत हुआ था । अपने कथनों की पुष्टि में उनके द्वारा ग्राम पंचायत दांतडा के सरपंच का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया । जिसमें सरपंच के द्वारा हणुता का सजरा वर्णित किया गया है । जिस अनुसार वादीगण के पिता मूला का पुत्र होना बताया गया है । जबकि वादी के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स.पी.–1 जमाबन्दी में जमना के पिता का नाम प्रताप अंकित किया हुआ है । राजस्व रिकार्ड के मुकाबले ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा जारी प्रमाण पत्र की कोई कानूनी वैधता नही है । ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है ।

18 **तनकी नम्बर–5** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पर है । चूँकि इस तनकी के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर– 2, 3 में किया जा चूका है , पृथक से और विवेचन किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है तद्नुसार इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है ।

19 **तनकी नम्बर–6** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पर है । इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादी का कथन है कि वादीगण विवादित आराजीयात के टेनेन्ट नही है तथा इनका कब्जा नही होने से कब्जे के अभाव में वादीगण को वाद लाने का अधिकार नही है । चुँकि वादीगण के द्वारा यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है । यदि वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के टिनेन्ट होते तो उन्हें वाद लाने की कोई आवश्यकता ही नही होती । चुँकि वादग्रस्त आराजीयात ई.एक्स.पी–1 जमाबन्दी सम्वत् 2036–2039 वादीगण के पिता जमना जाट के नाम दर्ज रिकार्ड थी , किन्तु राजस्व एजेन्सी के द्वारा तथकथित बिकावनामा के आधार पर गलत नामान्तकरण खोले जाने से वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी के पिता श्रीराम जाट के नाम दर्ज हो गई , ऐसी स्थिति में वादग्रसत आराजीयात पर भौतिक रुप से कब्जा काश्त वादीगण के पिता जमना का था और उसकी मृत्यु के पश्चात वादीगण का कब्जा काश्त ही माना जायेगा । प्रतिवादीगण ने भी वादग्रसत भूमि पर अपने कब्जे के सम्बन्ध में किसी भी स्तर की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही कराई गई है । ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

20 **तनकी नम्बर–7** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पर है । चूँकि इस तनकी के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन उपर किया जा चूका है , पृथक से और विवेचन किया जाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय उचित नही समझता है तदनुसार इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है ।

21 **तनकी नम्बर–8** समग्र रुप से हम पाते है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पिता जमना पिता प्रताप जाट के खातेदारी कब्जेकाश्त की होना पत्रावली में प्रस्तुत ई.एक्स.पी–1 से प्रकट आया है । प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को बिकावनामा दिनांक 23.02.1959 से खरीद करना बताते है । प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत बिकावनामा बही खाते में की गई एक लिखा पढी है जो अनरजिस्टर्ड खत है । उक्त लिखा पढी में प्रताप व मूला के द्वारा ग्राम दांतडा की आराजी नम्बर– 416/1 को श्रीराम वल्द सुखदेव जाट को विक्रय करने का उल्लेख किया गया है । किन्तु ई.एक्स. पी–1 में अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी नम्बर– 442 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा भूमि श्रीराम पिता सुखदेव जाट के नाम दर्ज कर दी गई जो अपने आप में ही गलत व अवैध है । इसी इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि ई.एक्स.पी–3 जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 के अनुसार वादग्रस्त भूमि श्रीराम पिता सुखा तथा उसकी मृत्यु के बाद गंगा बेवा श्रीराम , उदा , रामचन्द्र पिता श्रीराम जाट, साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है । ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाता है । तथा वादीगण वादग्रस्त आराजीयात 442 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा भूमि के लिये हकों की घोषणा करवानें के अधिकारी पाये जाते है । लिहाजा दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

## –:: निर्णय ::–

दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा दांतडा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 442 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा भूमि के लिये वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है । तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट दांतडा पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner